मुनि मंथन

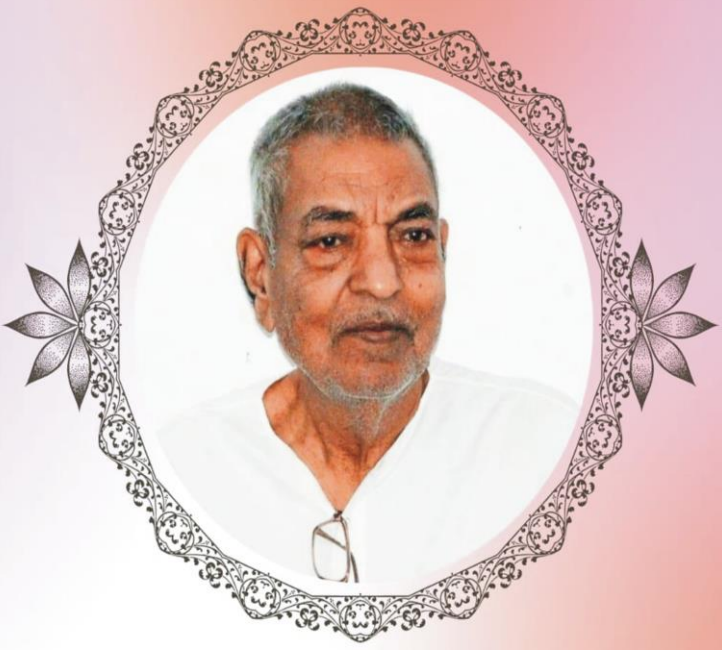

सुप्रसिद्ध मौलिक विचारक
बजरंगमुनि

लेखक: आनंद कुमार गुप्ता

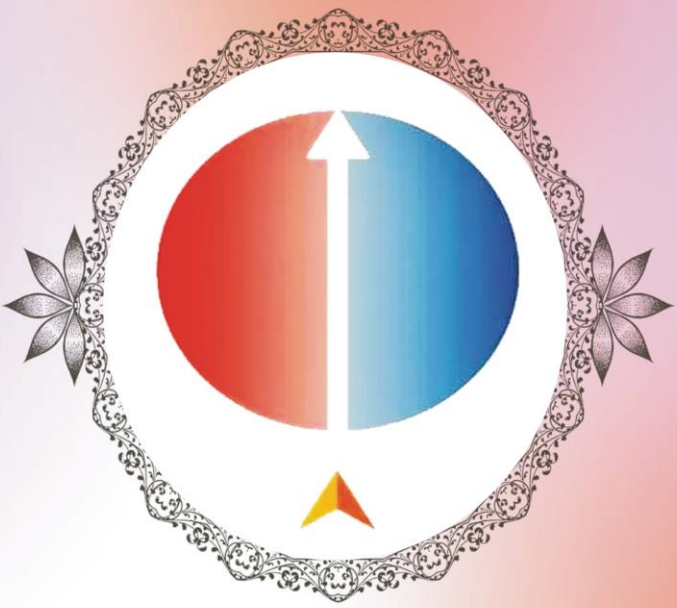

मार्गदर्शक प्रकाशन
42, मारूति लाइफ स्टाईल, कोटा रोड
रायपुर 492001

मुनि मंथन

आनंद कुमार गुप्ता

मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान

42, मारूति लाइफ स्टाईल कोटा रोड रायपुर 492001

प्रकाशकः

मार्गदर्शक प्रकाशन

42, मारूति लाइफ स्टाईल कोटा रोड

रायपुर 492001

support@margdarshak.info

मो0– 7869250001

प्रथम संस्करण : 2023

ISBN: 00000000

कम्प्यूटर ग्राफिक्स : संजय गुप्ता

मुद्रक

.....

सहयोग राशि : 10/-

MUNI MANTHAN BY ANAND KUMAR GUPTA

लेखकीय निवेदन

मैंने यह पुस्तक लगभग 15 वर्ष पूर्व लिखी थी। अब 2023 में इसका दूसरा संस्करण जा रहा है। 15 वर्षों के अन्तराल में मुनि जी के जीवन में अनेक बदलाव आए हैं। पांच वर्ष पूर्व मुनि जी ने आगे की खोज करने के उद्देश्य से दो वर्ष तक ऋषिकेश गंगा किनारे रहकर विचार–मंथन किया। गंगा किनारे की तपस्या के बाद मुनि जी को संदेश मिला कि सामाजिक बदलाव धर्म स्थानों से नहीं होता। आप रामानुजगंज लौटकर उन्हीं गरीबों, कमजोरों और ग्रामीणों के पास जाकर उनका मार्गदर्शन करें। राम ने वानर–भालुओं की मदद से लंका का युद्ध जीता था। आपको भी उन पर भी विश्वास करना चाहिए। सबसे अच्छा मार्ग यह है कि सामाजिक एकता के उद्देश्य से आप सामूहिक यज्ञ करें। मुनि जी दो वर्ष तक ऋषिकेश में रहकर मार्च 2020 रामानुजगंज लौट आए। लेकिन कोरोना शुरू हो जाने के कारण मुनि जी को ढ़ाई वर्ष तक रायपुर में ही रहना पड़ा। इस बीच में मुनि जी ने अपने जीवन के सारे अनुभव "एक निवेदन" पुस्तक में लिखकर पच्चीस दिसंबर 2020 को अपना कर्म संन्यास घोषित कर दिया लेकिन कोरोना के कारण वे बाहर नहीं निकल सके। अब कोरोना समाप्त हुआ है तो कर्म संन्यासी बजरंग मुनि जी रामानुजगंज के आसपास के गरीब ग्रामीणों एवं श्रमजीवियों को एक साथ जोड़कर सामूहिक यज्ञ की शुरुआत कर रहे हैं। मुनि जी द्वारा प्रेरित पहला यज्ञ तातापानी में आयाजित हो रहा है। मैं स्वयं भी इस यज्ञ में शामिल होकर मुनि जी का आशीर्वाद लूंगा। इस तरह बजरंग मुनि के जीवन का पूरा कार्यकाल सक्रीय सामाजिक कार्यकर्ता का रहा है और अब एक निवेदन पुस्तक अब नए स्वरूप में "मुनि मंथन निष्कर्ष" के नाम से मार्गदर्शक प्रकाशन ने छपवाई है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं।

आनंद कुमार गुप्ता

मुनि मंथन

लेखक – आनन्द कुमार गुप्ता

मै बजरंग लाल जी को अपने बचपन से ही जानता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था तभी मुझे बजरंग लाल जी में कुछ विलक्षण प्रतिभा का अनुभव हुआ और मैने उन्हें अपना गुरू मान लिया जिसे उन्होने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि अभी तो मै स्वंय ही सीखने के क्रम में हूँ। फिर भी उन्होने मुझे एक मंत्र दिया कि जीवन में निरंतर मानसिक व्यायाम द्वारा अपनी बौद्धिक क्षमता का विस्तार करो। मैंने निरंतर उनके इस कथन को याद रखा और आज मैं जहाँ तक जा सका हूँ वह उनके इस बीज मंत्र का ही परिणाम है।

बजरंग लाल जी अग्रवाल ने भले ही मुझे शिष्य न माना हो किन्तु मैं तो उन्हे अपना मार्गदर्शक मानता ही हूँ। उन्होने पचपन वर्षो तक कठोर साधना की और विश्व के अनेक सामाजिक रहस्य सुलझाये। इनकी बातें बचपन से ही सहज सरल–बोधगम्य होती थी, किन्तु उन पर सहज विश्वास किसी को नही होता था। अब उन्होने अपनी साधना पूरी घोषित करके वानप्रस्थ ले लिया है और बजरंग मुनि हो गये हैं। उन्होने पच्चीस दिसम्बर दो हजार आठ को अपना शेष जीवन समाज को समर्पित कर दिया।

बचपन में मैं उनकी बातें सुनता था तथा उनपर श्रद्धा के कारण विश्वास कर लेता था किन्तु यथार्थ का बोध नहीं होता था। अब धीरे–धीरे यथार्थ बोध होना शुरू हुआ और लगा कि उनकी एक–एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है। तीस चालीस वर्षो से वे ज्ञान तत्व के माध्यम से बराबर अपने विचार समाज को दे रहे हैं। उन विचारो में से कुछ तो ऐसे है जो विश्व स्तरीय विल़क्षण खोज के रूप मे स्थापित हो रहे हैं।

मुनि जी ने पहली बार धर्म, राज्य और समाज की अलग अलग स्पष्ट व्याख्या की। अब तक राज्य समाज को अपने साथ जोड़ लेता था तो धर्म अपने साथ। कहीं कहीं तो जाति भी समाज शब्द को जोड़ने लगी थी। मुनि जी ने बताया कि समाज सर्वोच्च होता है, धर्म उसका सहायक और राज्य उसका रक्षक होता है। तीनों का अपना–अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता

है, तीनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं किन्तु समाज हमेशा धर्म और राज्य से उपर रहा है। लोकतंत्र मे व्यक्ति सर्वोच्च होता है तथा धर्म, राज्य व समाज पूरक। साम्यवाद में राज्य सर्वोच्च होता है तथा धर्म, व्यक्ति, समाज पूरक। इस्लाम में धर्म सर्वोच्च होता है तथा राज्य, व्यक्ति, समाज पूरक। भारतीय संस्कृति में समाज सर्वोच्च होता था तथा राज्य, धर्म, व्यक्ति पूरक। दुर्भाग्य से भारतीय संविधान बनाने वालों ने भारतीय व्यवस्था में राज्य, धर्म और व्यक्ति को तो महत्व दिया किन्तु समाज को संविधान से बाहर कर दिया।

मुनि जी के अनुसार भारत में तीन प्रकार के प्रयोग हुए 1. राज्य का 2. धर्म का 3. समाज का। राज्य का अर्थ होता है शासन। इसमें अधिकार उपर से नीचे आते हैं। राष्ट्र ,प्रदेश, जिला, ब्लाक, व्यक्ति का क्रम होता है। धर्म में न शासन होता है न अनुशासन। धर्म में कर्तव्य होता है और क्रम होता है व्यक्ति, परिवार, जाति, वर्ण और धर्म। समाज में अनुशासन होता है, अधिकार नीचे से उपर जाते हैं तथा क्रम होता है व्यक्ति, परिवार,गॉव, जिला, प्रदेश, राष्ट्र, समाज। धर्म व्यवस्था से समाज व्यवस्था अच्छी होती है किन्तु गुलामी के हजार वर्षो में समाज व्यवस्था टूटी और धर्म या राज्य व्यवस्था मजबूत हुई। स्वतंत्रता के बाद समाज व्यवस्था को जान बूझकर तोड़ा गया तथा जाति धर्म व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। जाति, वर्ण,धर्म व्यवस्था की अपेक्षा परिवार, गांव, जिला, राष्ट्र, समाज व्यवस्था को बढ़ाना चाहिये।

मुनि जी ने यह भी कहा कि व्यक्ति, परिवार और समाज के न्यूनतम और अधिकतम अधिकारों का स्पष्ट विभाजन आवश्यक है। ऐसे स्पष्ट विभाजन के अभाव में आपसी टकराव होते रहते हैं जिनका लाभ उठाकर राज्य अनावश्यक कानून बना–बना कर समाज पर थोपता रहता है। व्यक्ति के अधिकार तो कुछ परिभाषित भी हैं किन्तु परिवार, गांव और समाज के बिल्कुल परिभाषित नहीं हैं जो होना चाहिये।

मैंने स्वयं भी इस विषय पर सोचा तो लगा कि आज सम्पूर्ण भारत में राज्य, धर्म और समाज की स्पष्ट व्याख्या करने वाला एक भी विद्वान नहीं दिखता। आम तौर पर लोग समाज को अलग समझते ही नहीं। कोई यह बात भी नहीं सोचता कि धार्मिक त्यौहार और सामाजिक त्यौहार अलग–अलग होते हैं। मुनि जी की समाज सर्वोच्च व्याख्या भले ही अब तक प्रचारित

नहीं हो पाई है किन्तु स्पष्ट है कि यहीं एकमात्र मार्ग है जो समस्याओं का समाधान कर सकता है।

मुनि जी ने सम्पूर्ण विश्व में पहली बार अपराध, गैर कानूनी तथा अनैतिक का वर्गीकरण किया। अब तक तो पूरा विश्व तीनों का घालमेल करता रहता है। मुनि जी के अनुसार व्यक्ति के अधिकार तीन प्रकार के हैं 1. मौलिक अधिकार 2. नागरिक या संवैधानिक अधिकार 3. सामाजिक अधिकार। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंधन अपराध होता है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंधन गैर कानूनी होता है तथा सामाजिक अधिकारों का उल्लंधन अनैतिक होता है। मौलिक अधिकार कुल चार प्रकार के होते हैं 1. जीने का 2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का 3. सम्पत्ति का 4. स्व–निर्णय का। हमारे संविधान निर्माताओं को मौलिक अधिकारों की परिभाषा का ज्ञान न होने के कारण उन्होंने परिभाषाओं को भ्रम पूर्ण बना दिया। मौलिक अधिकार व्यक्ति के प्राकृतिक होते है। दुर्भाग्य से व्यक्ति और नागरिक को अलग अलग न मानकर एक मान लिया गया जिससे भ्रम पैदा हुआ। भारत में तो यहॉ तक झूठ प्रचारित हुआ कि संविधान मौलिक अधिकार देता है। सच बात यह है कि संविधान व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। संविधान इन अधिकारों में कोई कटौती कभी नहीं कर सकता चाहे वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो या न हो। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वह भी समाज का अंग तो है ही तथा उसके भी मानवीय अधिकारों का उल्लंधन ही नहीं किया जा सकता।

मुनि जी के अनुसार कुल अपराध पांच प्रकार के होते हैं 1. चोरी, डकैती, लूट 2. बलात्कार 3. मिलावट कमतौल 4. जालसाजी, धोखा 5. हिंसा, बल–प्रयोग, आतंक। अन्य सभी कार्य या तो गैर कानूनी होते हैं या अनैतिक किन्तु अपराध नहीं होते। एक सर्वेक्षण के अनुसार पूरे भारत में अपराधों का प्रतिशत अधिकतम दो है। किन्तु राज्य गैरकानूनी और अनैतिक को भी अपराध कहकर समाज की निन्यान्नवे प्रतिशत आबादी में अपराध भाव जागृत कर देता है। राज्य और धर्म की समाज के प्रति नीयत खराब है। वे दोनों समाज को गुलाम बनाकर उस पर नित नये नये कानून थोपते रहते हैं और ऐसे गुलामी के कानून टूटने पर समाज को दोष देते रहते हैं जबकि समाज इसमें कहीं दोषी नहीं होता। भारतीय संविधान ने तो समाज को इस सीमा तक असहाय बना दिया है कि वोट देने के अतिरिक्त समाज के सारे अधिकार संसद

ने अपने पास समेट लिये हैं। संसद जब चाहे, समाज, परिवार, गांव को अधिकार दे और जब चाहे वापस ले ले। संविधान ने दाता को भिखारी बना दिया है।

मैने भी बहुत सोचा। मुनि जी से प्रत्यक्ष चर्चा भी की। उनका सोच विश्व स्तरीय है। आज तक दुनिया के किसी भी विद्वान ने अपराध, अनैतिक, गैर–कानूनी, मूल अधिकार आदि की इतनी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। पाठक इस विषय पर मुनि जी के साहित्य को पढ़कर और जानकारी ले सकते हैं।

अपराध नियंत्रण पर भी मुनि जी ने स्पष्ट व्याख्या दी। उन्होंने बताया कि गुलामी या तानाशाही शासन व्यवस्था में तो सामाजिक हिंसा की आवश्यकता पर विचार किया जा सकता है किन्तु लोकतंत्र में सामाजिक हिंसा की आवश्यकता पर विचार भी उचित नहीं। इस समय भारत में साम्यवाद, इस्लामिक संगठन तथा संघ परिवार सामाजिक हिंसा की वकालत करते हैं, जो गलत है। इन तीनों संगठनों की सोच किसी भी तरह ठीक नही है। साथ ही गांधी जी का राज्य व्यवस्था में न्यूनतम हिंसा का सुझाव भी गलत है। राज्य को न्यूनतम हिंसा के स्थान पर संतुलित हिंसा का प्रयोग करना चाहिये। यदि राज्य आवश्यकता से कम बल प्रयोग करता है तो समाज में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है। वर्तमान में राज्य आवश्यकता से कम बल प्रयोग पर चल रहा है। उसे और कठोर कानून बनाना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो खुली फांसी का भी उपयोग हो सकता है और यदि उसके बाद भी अपराधों पर रोक न लगे तो अल्प काल के लिये गुप्तचर न्यायपालिका विधि का भी उपयोग हो सकता है। न्याय और सुरक्षा राज्य का दायित्व है। अन्य जनकल्याणकारी कार्य उसका दायित्व न होकर स्वैच्छिक कर्तव्य है। धूर्त लोग कर्तव्य और दायित्व की परिभाषा बदल देते हैं जिससे भ्रम पैदा होता है। दायित्व वह होता है जो दूसरे पक्ष का अधिकार बन जाता है जबकि कर्तव्य दूसरे पक्ष का अधिकार नहीं होता। अपने दायित्व की अवहेलना करके कर्तव्य की ओर हाथ पैर पटकना उचित नहीं किन्तु राज्य अभी वैसा ही कर रहा है।

मुनि जी ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से भी कहा कि जो लोग मानवाधिकार सम्मान का वचन दें उनके मानवाधिकार की सुरक्षा की गारंटी दी जाय। भारत के आम नागरिक इस श्रेणी में आते हैं। जो लोग वचन न दें उनके मानवाधिकार की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है दायित्व

नहीं। इस दूसरी श्रेणी में संघ परिवार, इस्लामिक संगठन साम्यवादी या कुछ सीमा तक सिख संगठन भी शामिल हैं। किन्तु जो लोग मानवाधिकार हनन की खुलेआम घोषणा करें उनके मानवाधिकार की चिन्ता करना व्यर्थ है। ऐसे संगठनों में नक्सलवादी, अभिनव भारत, सिमी या अन्य आतंकवादी शामिल हैं। मुनि जी ने स्पष्ट किया कि किसी अपराधी का फर्जी एनकाउण्टर कोई अपराध न होकर एक गैर–कानूनी कार्य है। ऐसे फर्जी एनकाउन्टर पर हाय तौबा मचाना या तो राज्य का कर्तव्य है या पेशेवर मानवाधिकारवादियों का दायित्व। समाज को तो ऐसे फर्जी एन्काउन्टर पर तभी चिन्तित होना चाहिये जब उसे विश्वास हो जाय कि किसी शरीफ आदमी के साथ अन्याय हो रहा है।

नक्सलवाद की चर्चा करते हुए मुनि जी ने कहा कि नक्सलवाद वर्तमान में सत्ता–संघर्ष हैं। राज्य संवैधानिक तरीके से समाज को गुलाम बनाकर रखने की कोशिश करता है तो नक्सलवाद ऐसे संविधान को बन्दूक की ताकत पर हटाकर अपनी तानाशाही लादना चाहता है। दोनों की ही नीयत खराब है किन्तु नक्सलवाद ज्यादा खतरनाक है। दोनों से मुक्ति का मार्ग निकालना चाहिये जिसका सफल प्रयोग रामानुजगंज में हुआ है। रामानुजगंज में ग्राम सभा सशक्तिकरण का प्रयोग हुआ जिसके अनुसार सशक्त ग्राम सभा अधिकतम शक्तिशाली होगी। ग्राम सभा का स्वरूप प्रारंभ में पांच मुद्दों पर केन्द्रित होगा। 1. लोक और तंत्र के बीच की दूरी का कम होना 2. अहिंसक समाज व्यवस्था 3. वर्ग विद्वेष को वर्ग समन्वय में बदलना 4. भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत 5. ग्रामीण उपयोग तथा उत्पादन की वस्तुएँ कर मुक्त व नियंत्रण मुक्त करने हेतु राज्य से निवेदन। राज्य और नक्सलवादी इन मांगों को जिस सीमा तक स्वीकार करते है उसी सीमा तक उनकी सहायता या विरोध होता है। ग्राम सभा को सशक्त बनाने का अर्थ है समाज सशक्तीकरण।

मुनि जी ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक एकता को राज्य सर्वाधिक खतरनाक मानता है। इसके लिये वह आठ आधारों ''1. धर्म 2. जाति 3. भाषा 4. क्षेत्रीयता 5. उम्र 6. लिंग 7. गरीब–अमीर 8. उत्पादक–उपभोक्ता'' पर समाज में वर्ग–विद्वेष एवं वर्ग–संघर्ष का विस्तार करता है। ऐसा वर्ग विद्वेष सामाजिक विघटन का मुख्य आधार होता है। सभी राजनैतिक दल सभी आठ आधारों पर वर्ग विद्वेष का सहारा लेने का पूरा–पूरा प्रयास करते हैं। ग्राम सभा ऐसे आधारों

से मुक्त रहेगी। सरकारी ग्राम पंचायतों के स्थान पर सामाजिक लोक पंचायतों का गठन होना चाहिये जो समाज सशक्तीकरण का कार्य करें।

मुनि जी ने बताया कि किसी भी प्रकार का आरक्षण अव्यवस्था भी बढ़ाता है और अन्याय भी। पुराने जमाने में धूर्त लोगों द्वारा लागू आरक्षण ने अनेक समस्याएँ पैदा की। वर्ण व्यवस्था को कर्म से बदलकर जन्म पर आधारित बना देना ऐसा ही आरक्षण था। उस समय धूर्त सवर्णो ने शरीफ अवर्णो के साथ भरपूर अन्याय किया था। अब धूर्त अवर्णो ने धूर्त सवर्णो से समझौता करके शरीफ सवर्णो के विरूद्ध अत्याचार शुरू कर दिया है। उस समय भी धूर्त ही लाभ के पद पर थे और आज भी हैं। अन्तर यह हुआ है कि ऐसे शोषकों में कुछ प्रतिशत धूर्त अवर्णो का भी शामिल हो गया है। सब प्रकार के आरक्षणों का यही परिणाम है चाहे वह महिला आरक्षण हो या आदिवासी आरक्षण अथवा कोई और। पांच सात प्रतिशत धूर्तो द्वारा अपने वर्ग के नाम पर अपनी व्यक्तिगत या पारिवारिक सुख सुविधाओं की लम्बे समय तक गारंटी का नाम ही आरक्षण है। मुनि जी ऐसे किसी भी आरक्षण के विरूद्ध हैं। उनका मानना है कि इस समय शराफत को धूर्तता से बचाने की जरूरत है। यदि समाज शराफत को शत प्रतिशत आरक्षण दे दें जो आज की पहली आवश्यकता है। अन्य सभी आरक्षण ऐसे प्रयत्नों में बाधक ही हैं साधक नहीं।

मुनि जी ने लोकतंत्र की एक नई व्याख्या की कि लोकतंत्र दो प्रकार का है 1 आदर्श 2 आयातित। आदर्श लोकतंत्र सामाजिक जीवन पद्धति में होता है तथा व्यवस्था का स्वरूप होता है। ऐसा लोकतंत्र लोक स्वराज्य की दिशा में झुका होता है। ऐसा लोकतंत्र पश्चिम के देशों में चल रहा है। आयातित लोकतंत्र जीवन पद्धति मे ंन आकर सिर्फ शासन पद्धति तक ही आता है । यह सत्ता का स्वरूप होता है। यह तानाशाही की दिशा में झुका हुआ होता है तथा दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन्डोनेशिया, अफगानिस्तान, इराक, बंगलादेश आदि में चल रहा है। ऐसे आयातित लोकतंत्र का निश्चित परिणाम है अव्यवस्था और ऐसी अव्यवस्था का निश्चित परिणाम है तानाशाही। दक्षिण एशिया के कई देश तो तानाशाही और लोकतंत्र के बीच अदलते–बदलते हैं तथा भारत भी धीरे–धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है। साम्यवाद ऐसी अव्यवस्था के विस्तार में सबसे आगे माना जाता है, भले ही इस काम का लाभ

उन्हें न मिलकर नक्सलवाद को मिल जा रहा है। ऐसे दूषित वातावरण का एक ही समाधान है ''लोकस्वराज्य'' जिसकी पहली कड़ी है– ग्राम सभा सशक्तिकरण।

मुनि जी ने बताया है कि वर्ग–विद्वेष को समाप्त करने का एक ही उपाय है समान नागरिक संहिता। कामन सिविल कोड लागू कर देने से यह समस्या दूर हो जायेगी। किन्तु नागरिक संहिता और आचार संहिता बिल्कुल अलग–अलग होती है। आचार संहिता व्यक्ति के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक आचरण तक सीमित होती हे और नागरिक संहिता नागरिक के संवैधानिक, राष्ट्रीय ,नागरिक आचरण तक। नागरिक संहिता तो समान ही होनी चाहिये किन्तु आचार संहिता की अधिकतम स्वतंत्रता होनी चाहिये। इन दोनों का अन्तर न समझने से भ्रम पैदा होता है। मुनि जी समान आचार संहिता के विरोधी हैं और समान नागरिक संहिता के पक्षधर।

मुनि जी ने अपराध नियंत्रण के लिये फांसी की सजा के उपयोग की वकालत की है तो दूसरी ओर दुनिया में पहली बार उन्होंने फांसी की सजा का विकल्प भी बताया है, कोई ऐसा व्यक्ति दोनों आंख देकर और अंधा बनकर खुला जीवन जीने को तैयार हो तो न्यायालय उसे कुछ शर्तो के साथ जमानत पर छोड़ने की व्यवस्था कर सकता है। मुनि जी का सुझाव विकल्प है बाध्यकारी नहीं। यह सुझाव भी विचार करने योग्य है।

मुनि जी ने भारतीय संविधान की भी पूरी समीक्षा की है और एक प्रस्तावित संविधान भी तैयार किया है जो पुस्तक रूप में भी उपलब्ध है तथा ज्ञान तत्व सत्तान्नवे में भी छपा है। मुनि जी ने स्पष्ट किया है कि गांधी भारत में संवैधानिक समाज व्यवस्था चाहते थे और नेहरू, अम्बेडकर, पटेल संवैधानिक शासन व्यवस्था। गांधी संविधान में लोकनियंत्रित तंत्र चाहते थे और नेतागण लोक नियुक्त तंत्र। गांधी जी तंत्र को लोक का मैनेजर बनाना चाहते थे और नेतागण अभिरक्षक या कस्टोडियन। स्वतंत्रता के बाद गांधी नेतागणों के लिये एक बोझ बने हुए थे। क्योंकि नेतागण अपने स्वतंत्रता संघर्ष का राजनैतिक लाभ उठाना चाहते थे और गांधी ऐसे लाभ में बाधक थे। नासमझ गोडसे ने गांधी हत्या करके नेतागणों का रास्ता साफ कर दिया। गोडसे की नीयत खराब नहीं थी। यदि आज गोडसे जीवित होता तो गांधी हत्या के ऐसे दुष्परिणाम को देखकर स्वयं ही आत्महत्या कर लेता। गांधी हत्या होते ही नेतागणों ने संविधान

को लोक नियंत्रित से लोक नियुक्त में बदल दिया तथा तंत्र को लोक के प्रबंधक की भूमिका से हटाकर अभिरक्षक अर्थात् कस्टोडियन की भूमिका दे दी। धूर्तता यहॉ तक की गई कि समाज बालिग हुआ या नहीं इसके आकलन की भी कोई स्वतंत्र इकाई न बनाकर इन्होंने अपने पास ही रख ली। ऐसे स्वार्थी तत्व आज गोडसे को गाली देने में सबसे आगे रहते हैं जबकि दुनियां जानती है कि गांधी हत्या में गोडसे का व्यक्तिगत स्वार्थ न होकर भूल थी और अन्य लोगों को उसका व्यक्तिगत पारिवारिक लाभ मिला। संविधान की परिभाषा होती है ''तंत्र के अधिकतम और लोक के न्यूनतम अधिकारों की सीमाएँ निश्चित करने वाला दस्तावेज''। कानून की परिभाषा होती है तंत्र के न्यूनतम तथा व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों की सीमाएँ निश्चित करने वाला दस्तावेज। संविधान लोक और तंत्र के बीच द्विपक्षीय समझौता है। लोकतंत्र में व्यक्ति पर शासन का नियंत्रण होता है, शासन पर कानून का, कानून पर विधायिका का, विधायिका पर राज्य व्यवस्था का, राज्य व्यवस्था पर संविधान का,और संविधान पर विधायिका का। यह संविधान निर्माताओ का घपला है। विधायिका जब स्वयं संविधान की अनुगामी है तो वह संविधान में संशोधन परिवर्धन या परिवर्तन कैसे कर सकती है? विधायिका तंत्र का भाग है जो लोकनियुक्त है लोक नहीं। इस घपले को आधार बनाकर ही आज तंत्र ने लोक को गुलाम बनाकर रख लिया है। यही कारण है कि आज तंत्र से जुड़ा हर व्यक्ति इस संविधान की खुली प्रशंसा करता रहता है। सच्चाई यह है कि नक्सलवाद सहित सभी समस्याओं के बीज भारतीय संविधान से ही निकलते हैं।

मुनि जी ने बताया कि यदि समस्याओं का कारण भारतीय संविधान है तो भारत की इन सभी समस्याओं का समाधान भी भारतीय संविधान में ही है और वह है– ग्राम सभा सशक्तिकरण। ग्राम सभाएँ जागरूक हो और सक्रिय हो जावें तो समस्यायें भी सुलझ सकती हैं तथा लोकतंत्र की परिभाषा भी बदल सकती है।

उपरोक्त विचार प्रस्तुति के बाद यह स्पष्ट है कि मुनि जी ने सामाजिक राजनीति पर गंभीर विचार मंथन किया है। किन्तु सामाजिक राजनीति के साथ–साथ आर्थिक विषयों पर भी मुनि जी की विश्व स्तरीय सोच है । उनका कथन है कि विश्व में सिर्फ दो ही आर्थिक समस्याएं हैं 1. गरीब और अमीर के बीच लगातार बढ़ती असमानता 2. श्रम और बुद्धि के बीच बढ़ती दूरी। बाकी सभी आर्थिक समस्याएं कृत्रिम हैं और समाज को धोखा देने के लिये खड़ी की

जाती हैं। महंगाई, बेरोजगारी, सब्सीडी, भ्रष्टाचार नियंत्रण आदि प्रयत्न धोखा के अतिरिक्त और कुछ नहीं।

मुनि जी के अनुसार एक परिभाषा है कि किसी वस्तु की तुलना जिस आधार वस्तु से की जाती है उस आधार वस्तु को स्थिर होना चाहिये। जब आप सभी वस्तुओं के मूल्य का आकलन रूपया से करते हैं तो या तो रूपया को स्थिर रखिये या मूल रूपया के आधार पर गणना संशोधित करिये। स्वतंत्रता के समय गणना का आधार चांदी का रूपया था जो बदलते–बदलते आज कागज तक आ गया। स्वतंत्रता के बाद घी महंगा हुआ या सस्ता यह आकलन चांदी का रूपया करेगा या आज का? यदि सरकारी आकलन के अनुसार सन् सैंतालिस से आज तक मुद्रास्फीति पचपन गुना बढ़ी है तो सन् सैतालिस को मूल रूपया मानकर आज की वस्तुओं का आकलन करिये। सोना चॉदी जमीन, कर्मचारी वेतन महंगा हुआ है और बाकी सब सस्ता। महंगाई का हल्ला असत्य भी है और समाज को ठगने की कोशिश भी। इस संबंध में मुनि जी ने व्यापक सर्वेक्षण भी किया है । इसी तरह बेरोजगारी की भी एक झूठी परिभाषा बना ली गई। बेरोजगारी की परिभाषा होनी चाहिये ''किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा घोषित न्यूनतम श्रम मूल्य पर योग्यतानुसार काम का अभाव''। बुद्धिजीवियों ने चालाकी से परिभाषा बदल दी और योग्यतानुसार काम और काम के अनुसार वेतन बनाकर घपला कर दिया। अब इस परिभाषा के अनुसार सत्तर रूपया में काम कर रहा मजबूर श्रमजीवी रोजगार प्राप्त और पांच सौ रूपया में काम न करने को तैयार डाक्टर बेरोजगार। इन लोगों ने चालाकी से श्रम शोषण के लिये दो कानून भी बना लिये– 1. शिक्षित बेरोजगार, 2. न्यूनतम श्रम मूल्य की सरकारी घोषणा। प्रचारित किया गया कि मानसिक श्रम भी श्रम है। जबकि वह श्रम न होकर बौद्धिक कार्य है। बुद्धिजीवियों ने चालाकी करके शारीरिक श्रम के साथ स्वयं को जोड़ लिया। जबकि शारीरिक श्रम की अधिकतम उत्पादन क्षमता भारत में दो ढ़ाई सौ रूपया प्रतिदिन है और बौद्धिक श्रम की हजारों रूपया प्रतिदिन की। इसी तरह इन लोगों ने चालाकी करके कृत्रिम श्रम मूल्य की भी घोषणा करवा ली। अब छत्तीसगढ़ में न्यूनतम श्रम मूल्य सौ रूपया घोषित है, कृत्रिम श्रम मूल्य एक सौ तीस रूपया से भी अधिक है और बुद्धि का मूल्य तो और भी ज्यादा है। मुनि जी का कथन है कि कृत्रिम श्रम मूल्य श्रम की मांग कम करता है और इसलिये श्रम शोषण का

आधार है। यदि कृत्रिम श्रम मूल्य की सरकारी घोषणा बंद कर दी जावे तो बाजार में स्वयमेव श्रम की कुछ मांग बढ़ेगी और बेरोजगारी घटेगी।

मुनि जी ने अब तक दुनियां में प्रचलित समानता की परिभाषाओं को अवैज्ञानिक बताते हुए नई परिभाषा दी कि ''किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा घोषित सीमा रेखा से उपर वालों को समान स्वतंत्रता और नीचे वालों को समान सुविधा''। मुनि जी के अनुसार समानता की यह परिभाषा स्वतंत्रता और समानता के बीच व्यावहारिक दृष्टिकोण है। इस संबंध में समाजवादियों ने सबसे अधिक भ्रम फैलाया। इसी तरह मुनि जी ने यह भी बताया है कि कृत्रिम ऊर्जा यथा ''डीजल, बिजली, पेट्रोल, किरोसिन, रसोई गैस, कोयला'' श्रम की प्रतिस्पर्धी हैं और बुद्धि सहायक। बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों ने षड़यंत्रपूर्वक कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि पर रोक लगा रखी है। मनमोहन सिंह सरकार के आने के बाद तो यह षडयत्रं और भी मजबूत हुआ क्योकि पिछले छः वर्षो मे मुद्रा स्फीति के आधार पर कृत्रिम उर्जा के मूल्य में सैंतीस प्रतिशत का संशोधन होना चाहिये था जो अभी–अभी बहुत मुश्किल से सात प्रतिशत करीब हुआ है और वह भी सिर्फ डीजल, पेट्रोल बिजली में। यदि कृत्रिम उर्जा को महंगा किया जाता तो एक ओर तो श्रम की मांग बढ़ती और दूसरी ओर सरकार जिस ग्रामीण, गरीब, श्रमिक, कृषि उत्पादन और उपयोग की वस्तुओं पर कर लगाकर राजस्व पूरा करती है उस पाप से भी बचा जा सकता था। मुनि जी इस टैक्स को अमानवीय पाप की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि साईकिल पर आठ सौ रूपया प्रति साइकिल कर और रसोई गैस पर सब्सीडी, अपनी जमीन पर पैदा पेड़ों पर भारी कर और ट्रैक्टर पर छूट खाद्य तेलों पर आठ रूपया प्रति लीटर कर और मिट्टी तेल पर सब्सीडी आदि अनेक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो पाप भी है और अमानवीय भी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने खेत में पैदा गन्ने से गुड़ बनाने या स्वतंत्र गन्ना बिक्री पर रोक लगा दी जिससे मिलों को सस्ता गन्ना मिले, जिससे मिलों से सस्ती शक्कर सरकार ले सके, जिससे सरकार विदेशों में निर्यात करके बजट घाटा कम कर सके और जिससे खाड़ी देशों से अधिक डीजल पेट्रोल आ सके। किसान को सरकारी खजाना भरने वाली मशीन मान लिया गया है। यदि कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि हो जावे तो भारत की सभी आर्थिक समस्याएं सुलझ जायेगी। किन्तु सरकार बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों के दबाव में यह नहीं करना चाहती है भले ही इसके बदले श्रम शोषण ही क्यों न करना पड़े।

मुनि जी बताते है कि पश्चिम के देश श्रम अभाव देश हैं और भारत श्रम बहुल देश। यह तथ्य भुला देने के कारण यह भूल निरंतर जारी है। मुनि जी का मानना है कि यदि कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढ़ाकर गरीबी रेखा के नीचे वालों को बराबर बराबर जीवन भत्ता घोषित कर दे तो जनता इस मूल्य वृद्धि को सहर्ष स्वीकार कर लेगी। आप कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि करें और तंत्र का वेतन भत्ता बढ़ावे यह उचित नहीं। मुनि जी ने आकलन करके बताया है कि भारत की एक प्रतिशत आवादी को दो हजार रूपया मासिक का जीवन भत्ता घोषित करके कृत्रिम उर्जा पर मूल्य वृद्धि करें तो वह ढ़ाई प्रतिशत वृद्धि होती है। अर्थात् बीस प्रतिशत मूल्य वृद्धि पूरी गरीबी रेखा ही खतम कर सकती है। किन्तु कोई भी सरकार ऐसा इस लिये नहीं कर सकती क्योंकि इससे तो उसके समर्थक बुद्धिजीवी पूंजीपति वर्ग नाराज हो सकते है।

मुनि जी ने बताया कि भ्रष्टाचार वास्तव में न अपराध होता है न अनैतिक। भ्रष्टाचार सिर्फ गैर–कानूनी होता है। भ्रष्टाचार की परिभाषा होती है ''मालिक से छिपाकर किया गया कोई भी अनैतिक कार्य''। प्रश्न उठता है कि वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था मे मालिक तंत्र है या लोक। यदि लोक मालिक होता तब भ्रष्टाचार अपराध होता किन्तु अभी तो तंत्र मालिक है। भ्रष्टाचार इस लिये बढ़ रहा है कि तंत्र लोक को अधिकाधिक गुलाम बनाकर रखने के लिये नित नये–नये कानून बना रहा है। यदि सरकारीकरण को समाप्त कर दिया जाय और राज्य अनावश्यक कानून हटा ले तो भ्रष्टाचार की संख्या घट जायेगी और तब उस सीमित भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है।

मुनि जी ने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विषयों के साथ–साथ धर्म के मामले में भी खूब सोचा है। मुनि जी ने धर्म की परिभाषा बताई कि ''किसी अन्य के हित में किये गये निःस्वार्थ कार्य को धर्म कहते हैं''। संगठन कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म की परिभाषा बौद्ध काल में बदलकर संगठनात्मक हुई, ईसाई काल में उसमें से तर्क निकलकर सेवा और प्रेम जुड़ा, मुस्लिम काल में तर्क और अहिंसा निकल कर बल प्रयोग शामिल हुआ और साम्यवादी काल में सब कुछ निकल कर सिर्फ बन्दूक ही रह गई। साम्यवाद धर्म का निकृष्टतम रूप है और हिन्दूत्व श्रेष्ठतम। धर्म गुण प्रधान होता है और संगठन संख्या या शक्ति प्रधान। हिन्दुत्व

का विस्तार तर्क के आधार पर होता रहा, ईसाइयत का सेवा सद्भाव और धन, इस्लाम का संगठन शक्ति और साम्यवाद का बन्दूक। यदि हम वर्ण व्यवस्था को जन्म से अस्वीकार करके कर्मानुसार मान लें तो हिन्दुत्व ब्राम्हण प्रवृत्ति प्रधान व्यवस्था है, इसाइयत वैश्य प्रधान, इस्लाम क्षत्रिय प्रधान और साम्यवाद शूद्र प्रधान। हिन्दुत्व दुनिया की एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसने धर्म परिवर्तन पर एकपक्षीय रोक लगा रखी है अन्यथा बाकी सब तो दिन–रात छीना झपटी में ही लगे रहते हैं। यह हिन्दुत्व के लिये गर्व का विषय है। अन्य को ऐसी छीना–झपटी पर विचार करना चाहिये।

मुनि जी के अनुसार संघीय विचार हिन्दुत्व का उसी तरह रूपान्तरण है जैसे इस्लाम, ईसाइयत या साम्यवाद का क्योंकि उसमें गुण के स्थान पर संख्या, तर्क के स्थान पर सेवा या संगठन शक्ति तथा विचार मंथन की जगह प्रचार–प्रसार का सहारा लिया जाता है। वर्तमान संकट हिन्दुत्व से भी अधिक धर्म, शराफत या सम्पूर्ण मानवता के समक्ष है। पिछले दो हजार वर्षो में दुनियां में सर्वाधिक अत्याचार और हत्याएँ धार्मिक प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है और दूसरा नम्बर राजनैतिक प्रतिस्पर्धा का है। आपराधिक हत्याएं तीसरे क्रम में है।

मुनि जी ने कहा कि भारत को धार्मिक टकराव रोकने हेतु पहल करनी चाहिये। उसे तत्काल कानून बनाकर समान नागरिक संहिता लागू कर देनी चाहिये तथा धर्म परिवर्तन कराने के प्रयत्नों को भी गैर कानूनी बना देना चाहिये। भारत एक विशाल सामूहिक परिवार है जिसमें सभी वर्ण, वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, उम्र और विभिन्न व्यवसाय के लोग शामिल है इसमें कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं होगा।

धर्म और संस्कृति को भी मुनि जी ने अलग–अलग परिभाषित किया। उन्होने बताया कि ''किसी व्यक्ति द्वारा बिना सोचे किये गये कार्य की बार–बार पुनरावृति को आदत कहते है। यह आदत बहुत लम्बे समय तक चलती रहे तो उसका संस्कार बन जाती है और यदि किसी इकाई का बहुमत वैसे संस्कार अपना ले तो वह उस इकाई की संस्कृति बन जाती है। भारत की पुरानी संस्कृति हिन्दुत्व के गुण अवगुण प्रधान थी। नौ सौ वर्षो की गुलामी के परिणामस्वरूप हिन्दू संस्कृति में कुछ बदलाव आया जो अब अपना मूलस्वरूप बदल चुकी हैं। वर्तमान में हिन्दू संस्कृति के स्थान पर जो भारतीय संस्कृति सामने आई है उसमें दो संस्कार

प्रमुख है (1) कम से कम श्रम मे अधिक से अधिक लाभ की कोशिश चाहे तरीका कुछ भी हो (2) मजबूत से दबना और कमजोर को दबाना। ऐसी संस्कृति का विकास हमारे लिये एक बड़ा खतरा है।

विवाह के संबंध मे मुनि जी का मत है कि हिन्दू संस्कृति मे पुरूष परिवार का मुखिया होता है, इस्लाम में मालिक तथा ईसाइयत में सहयोगी। हम परिवार की नई परिभाषा मान ले कि ''संयुक्त सम्पत्ति तथा संयुक्त उत्तर दायित्व के आधार पर एक साथ रहने वाले व्यक्तियों का समूह ''तो अनेक समस्याएँ अपने आप सुलझ जायेगी। व्यक्तिगत सम्पत्ति की अवधारणा समाप्त होकर पारिवारिक सम्पत्ति में बदल जायेगी तथा अपराध नियंत्रण भी बहुत आसान हो जायेगा। विवाह, तलाक, जैसे विषय कानून से बाहर होगें। राज्य व्यवस्था मे दो ही वर्ग होंगे (1) कानून का पालन करने वाले (2) कानून का उल्लंघन करने वाले। अन्य वर्ग समाज मे हो सकते है किन्तु कानून मे नहीं। राज्य प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गांरटी देगा। राज्य अपनी सुरक्षा और न्याय की शक्ति का इतना विस्तार करेगा कि वह कम से कम दो प्रतिशत अपराधो को रोक ले। साथ ही राज्य इस सीमा तक ही कानून बनायेगा कि समाज में दो प्रतिशत से ज्यादा अपराध पैदा न हो। यह दो प्रतिशत की सीमा परिस्थिति अनुसार घटाई–बढाई जा सकती है। समान नागरिक संहिता तथा परिवार की नई परिभाषा के बाद महिला पुरूष के अधिकार पूरी तरह समान हो जायेगे किन्तु वर्ग–भेद न होने से विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होगा। परिवार का मुखिया कौन हो यह परिवार तय करेगा न कि समाज या कानून।

ऐसा नही है कि मुनि जी अन्य विषयों से विल्कुल अछूते हों। उन्होंने लिखा है कि साहित्य और विचार बिल्कुल भिन्न विषय है जो बिरले ही एक साथ होता है। साहित्य की भूमिका अन्धे की होती है और विचार की लंगड़े की। विचार की सहायता के बिना साहित्य आगे नहीं बढ़ सकता और साहित्य के बिना विचार समाज को गलत दिशा दे सकता है। यदि विचार मक्खन है तो साहित्य मट्ठा। दोनो का मिश्रण ही समाज के लिये उपयोगी होता है। साहित्य में कला की प्रधानता होती है, यह हृदय ग्रहय होता है जबकि विचार में तत्व की प्रधानता होती है और यह मस्तिष्क ग्राहय होता है। यदि हम चार भाग करके परिभाषित करें तो मुनि जी के अनुसार उपदेशों मे तत्व होता है, मस्तिष्क ग्राहय होता है, उपदेशक का आचरण जुडा होता

है। उपदेशक का व्यक्तिगत ज्ञान होता है। प्रवचन कलात्मक होती है, हृदय ग्राहय होता है। प्रवचनकर्ता का आचरण आवश्यक है, प्रवचन दूसरों के ज्ञान पर भी आधारित हो सकता है। भाषण कलात्मक होती है जो हृदय ग्राहय है, भाषणकर्ता का आचरण आवश्यक नहीं है। शिक्षा तत्व प्रधान होता है मस्तिष्क ग्राहय है, शिक्षक का आचरण आवश्यक नहीं, शिक्षा दूसरों से प्राप्त ज्ञान होता है। इस तरह मुनि जी ने जटिल वर्गीकरण को सरल करके समझाया है। इस विषय में अभी उनकी और भी सोच जारी हैं। मुनि जी ने दो टूक लिखा कि प्रतिवद्ध साहित्यकार को चारण या भाट तो कहा जा सकता है किन्तु साहित्यकार नहीं क्योंकि साहित्यकार पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिये। वर्तमान भारत में यह भी एक संकट है कि प्रतिवद्धता की लहर चल रही है। नेता, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता किसी निश्चित विचारधारा के अंतर्गत इकट्ठे होकर ऐसा गिरोह बना लेते है कि तीनो योजनावद्ध तरीके से एक–दूसरे की मदद करके अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान तक भी एक–दूसरे को दिलाने में कामयाब हो जाते है।

मुनि जी ने ज्ञान और शिक्षा की भी अलग–अलग विवेचना की। शिक्षा दूसरों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष की दी जाती है और ज्ञान स्वयं के अनुभव का निष्कर्ष। ज्ञान का महत्व बहुत अधिक होता है और आवश्यक नही कि ज्ञान के साथ शिक्षा भी जुड़ी हो। एक अति शिक्षित व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकता है और एक अशिक्षित भी ज्ञानी। अनेक अशिक्षित बुजुर्ग जटिल समस्याओं का ठीक–ठीक समाधान निकाल लेते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम एकपक्षीय होकर ज्ञान की अवहेलना कर रहे है। शिक्षा का चरित्र से कोई संबंध नही होता जबकि ज्ञान का होता है। भारत में शिक्षा के तीव्र विस्तार के बाद भी तीव्र चरित्र पतन एक शोध का विषय है। यदि शिक्षा के साथ ज्ञान को भी महत्व देने की योजना बने तो बहुत कुछ सुधार संभव है।

मुनि जी ने भूत–प्रेत, तंत्र–मंत्र को भी परिभाषित करने की कोशिश की है। उनकी परिभाषा है कि ''प्रकृति के अनसुलझे रहस्य भूत होते है।'' इसी तरह उन्होंने सुख–दुख की परिभाषा बताई कि ''किसी कार्य के संभावित परिणाम का आकलन और यथार्थ की मात्रा का अंतर ही सुख–दुख की मात्रा होती है।'' इसी तरह मुनि जी ने सामाजिक, असामाजिक एवं समाज–विरोधी शब्दों की पृथक व्याख्या की है, जिसके अनुसार किसी एक्सीडेन्ट ट्रेन के कराहते

हुऐ यात्रियों की सेवा करने वाला सामाजिक, दूर से देखने वाला असामाजिक तथा सामान लूटने वाला समाज विरोधी होता है। मुनि जी के अनुसार वर्तमान समय में असामाजिक लोगों को साथ जोड़ने की आवश्यकता है जिससे कि समाज विरोधियो को अलग–थलग किया जा सके।

मुनि जी ने अन्य अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त कियें है किन्तु सबका उल्लेख यहाँ संभव नही। इसके लिये कुछ उदाहरण ही पर्याप्त है। मुनि जी के जिन विचारों का उपर उल्लेख किया गया है उनमे से अनेक ऐसे है जो विश्व स्तरीय है। मुनि जी ने चुनौती दी है कि उनके किसी निष्कर्ष को असत्य सिद्ध किया जा सके तो वे तुरंत उसे स्वीकार कर लेंगे। यदि कोई व्यक्ति या संगठन किसी विषय पर खुली चर्चा हेतु आमंत्रित करे तो वे अपने खर्च से आने के लिये भी तैयार हैं। उनका कहना है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने सत्य को भ्रमित करके असत्य स्थापित करने में जो सफलता पाई है उसे चुनौती देना आवश्यक है।

मैं नहीं कह सकता कि मुनि जी की सभी बातें सही ही होंगी। स्वयं मुनि जी भी ऐसा दावा नहीं करते किन्तु मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनकी सभी बातों में दम है और उन पर गंभीर विचार मंथन होना चाहिये। पहले तो मेरे मन में मुनि जी के प्रति श्रद्धा भाव था और मैं उनकी बातों को समझता कम था और मानता अधिक था लेकिन अब मुझे उनकी बातों में यथार्थ दिखता है।

यदि दुनिया का कोई विद्वान मुनि जी के कथन से असहमत है तो उसे अपनी असहमति व्यक्त करनी चाहिए। तीस चालीस वर्षो से मुनि जी ज्ञान तत्व के माध्यम से अपने विचार दे रहे हैं किन्तु अन्य विद्वान न तो उस पर तर्क वितर्क करते हैं और न ही स्वीकार करते हैं। तीस चालीस वर्षो से मुनि जी लगातार लिख रहे है कि साइकिल पर तीन सौ रूपया कर लगाना और रसोई गैस पर सब्सीडी देना गरीब ग्रामीण श्रमजीवी के साथ धोखा है। इसके बाद भी किसी ने कभी इस की गभीर विवेचना नहीं की। यहॉ तक कि समाजवादी और वामपंथी भी चुप हो जाते हैं किन्तु उत्तर नहीं देते। अब उन्हें कुछ न कुछ उत्तर देना ही होगा। बीस तीस वर्षो से मुनि जी संघ परिवार से पूछते हैं कि समान नागरिक संहिता और हिन्दू राष्ट्र एक साथ कैसे संभव है? कोई न उत्तर देता है न सुधार करता है। अब समाज ऐसे तत्वों को मजबूर करे कि वह प्रश्न करें अथवा उत्तर दें। विचार मंथन आवश्यक है।

मैं बचपन से ही मानता हूँ कि मुनि जी में कोई ईश्वरीय या प्राकृतिक विशेष प्रतिभा है किन्तु मुनि जी उसे सिरे से खारिज करते रहे हैं। उनका कथन है कि उन्होंने बचपन से ही मानसिक व्यायाम किया है और उसी का परिणाम है कि वे इतना आगे तक बढ़ पाये। अब मुझे भी उनका कथन यथार्थ दिखता है। रामानुजगंज में जिन लोगों ने भी उनके मार्गदर्शन में मानसिक व्यायाम किया वे सब उल्लेखनीय प्रगति करने में सफल रहे हैं। मुनि जी का कथन है कि यह उनके प्रभाव का परिणाम न होकर मानसिक व्यायाम का परिणाम है। अब भी जो व्यक्ति मानसिक व्यायाम करेगा उसे उसका लाभ मिलेगा ही। यदि माह में एक बार भी एक घंटे के लिये यह व्यायाम कर लिया जावे तो व्यक्ति जीवन में किसी से ठगा नहीं जायेगा तथा वह जीवन में कभी निराश नहीं होगा या आत्महत्या नहीं करेगा। मुनि जी इतनी गारंटी तो देते हैं।

मुनि जी ने पच्चीस दिसम्बर 2008 के बाद समाज में अपने विचार देने शुरू किये हैं। तब तक के पचपन वर्षों तक तो वे स्वयं ही ज्ञान संग्रह में लगे रहे। अब धीरे–धीरे उनके विचार समाज के समक्ष आने लगे हैं। मैं जानता हूँ कि मैने मुनि जी के कुछ विचारों की गहन समीक्षा की है। अनेक परिभाषाएं ऐसी है जिनके स्तर की समीक्षा मैं नही कर सकता क्योकि उनकी वर्तमान परिभाषाएं क्या है यह मुझे पता नही किन्तु मुनि जी की कुछ परिभाषाएं तो अवश्य ही है जो तर्क संगत भी है और बिल्कुल नयी भी। मुनि जी ने अपराध, गैर–कानूनी और अनैतिक को अलग–अलग परिभाषित किया। यह परिभाषा बिल्कुल नयी भी है और तर्क–संगत भी। यदि यह परिभाषा लागू हो जावे तो अनेक समस्याएं अपने आप सुलझ जायेगी। मुनि जी ने संविधान को भी परिभाषित किया। अब तक सत्रहवीं शताब्दी के पश्चिमी विद्वान की ही परिभाषा मान्य है। और हम उसे ही भारत में भी ढो रहे है। यह परिभाषा अपनी उपयोगीता खो चुकी है । मुनि जी ने रोजगार को शारीरिक श्रम के साथ जोडकर परिभाषा बनाई। वह भी न्याय संगत है। बेरोजगार और उचित रोजगार के लिये प्रतिक्षारत एक नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की मजबूरी में जमीन–आसमान का फर्क है। मुनि जी ने सामाजिक, असामाजिक और समाज विरोधी की भी अलग–अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की जो तर्क–संगत है। ऐसा लगता है कि यदि हम परिभाषाओं पर ही ठीक से विचार कर लें तो अनेक उलझनें दूर हो जायेगी। पता नही अब तक दुनियां के विद्वानों ने इन विषयों पर इतना गंभीर क्यों नही सोचा। मुझे तो अब यह भी

आश्चर्य है कि हमारे भारतीय विद्वान भी पश्चिम की घिसी–पिटी परिभाषाओं की आंख मूंदकर नकल तो करते रहे, किन्तु नयी परिभाषाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया।

इस संबंध में जब मैंने मुनि जी से जानना चाहा तो उन्होने संभावना बताई कि नौ सौ वर्षों की गुलामी में स्वतंत्र विचार–मंथन निरूत्साहित होकर राज्याश्रित हो गया था। स्वतंत्रता के बाद भी वह मानसिकता बढ़ती गयी। आज भी समाज पक्षधर स्वतंत्र विचारकों को राज्याश्रित लोग पीछे ढकेल कर स्वयं आगे आ जाते है जबकि उनमें से अधिकांश की क्षमता कुछ पुराने पश्चिमी विद्वानों के नाम जानने और उनके विचार संकलित करने से अधिक नहीं होती। कम्प्यूटर जानकारी दे सकता है, शिक्षा भी दे सकता है, किन्तु ज्ञान नहीं दे सकता जबकि निष्कर्ष निकालने में शिक्षा और जानकारी से भी अधिक ज्ञान आवश्यक है। ऐसी गंभीर बाते आम तौर पर विचारकों की मृत्यु के बाद ही महत्वपूर्ण हो पाती है किन्तु मेरी इच्छा है कि इनमे से कुछ बाते समाज के लिये तत्काल उपयोगी सिद्ध हो सकें तो मेरा प्रयत्न सफल होगा। मुनि जी अब स्वयं तो आर्थिक दृष्टि से शून्य हो चुके हैं क्योंकि पच्चीस दिसम्वर 2008 को स्वयं को समाज को समर्पित करते समय ही उन्होंने अपने सभी पद और सम्पत्ति का त्याग कर दिया था, किन्तु उनका स्वयं का ज्ञान इतना बडा समुद्र है कि उनके समक्ष भौतिक संसाधन कोई महत्व नही रखते। पहले तो मैं अकेला था जो उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता था किन्तु अब एक डेढ़ वर्ष में पूरे भारत में हजारों ऐसे लोग है जो मुनि जी के विचारो के प्रति गंभीर है। अभी उनकी उम्र 83 वर्ष की है। मेरी कामना है कि वे भविष्य में लम्बे समय तक अपनी साधना को जारी रख सकें और हम सबका मार्ग दर्शन करते रहें।

मुनि जी के काम का तरीका भी पूरी दुनियां में अलग तरह का ही है। वे विचार प्रचार पर कभी सक्रिय नहीं दिखे। ज्ञान तत्व के माध्यम से विचार–मंथन को ही आधार बनाकर चल रहे हैं। न कोई प्रचार–प्रसार न कोई आंदोलन और न कोई अखबारबाजी। बहुतों ने बहुत प्रकार की सलाह दी किन्तु उनका एक ही उत्तर था कि मेरा काम सिर्फ विचार देना है। जिसे जब जरूरत होगी उपयोग करेगा। अभी नही तो मेरे बाद भी जो विचार प्रमाणित होगा वह काम आयेगा, जो नहीं होगा वह समाप्त हो जायेगा। आज स्थिति यह है कि पच्चीस–तीस वर्ष पूर्व लिखे गये उनके विचार कार्य रूप में आते जा रहे है। वे तीस पैतीस वर्ष से लगातार लिखते रहे है कि सब प्रकार की सब्सीडी बन्द करके एक मुस्त जीवन भत्ता के रूप में दे देना चाहिये।

अब हमारी सरकारें उस दिशा में सोचना शुरू कर रही है। उन्होंने लगातार प्रत्येक नागरिक के लिये एक विशेष कोड नम्बर की बात की जो इतने वर्ष बाद अब क्रियान्वित हो रही है। उनकी योजनानुसार रामानुजगंज क्षेत्र में नक्सलबाद नियंत्रण योजना पर काम हुआ जो पूरी तरह सफल रहा। यदि दिसम्बर पंचान्नवे मे तत्कालीन मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंह जी ने योजनापूर्वक मुनि जी की सलाह के विपरीत काम न किया होता तो नक्सलवाद उत्तरी छत्तीसगढ़ में घुस ही नहीं पाता। नक्सलवाद समाप्त करने का सबसे अच्छा रास्ता तो वही है जिसका प्रयोग रामानुजगंज क्षेत्र में हुआ। यह अलग बात है कि सरकारें अन्य जगह उसे दुहराने के प्रति गंभीर नहीं है।

मुनि जी की अन्य अनेक धारणायें भी समाज मे विचार मंथन मे हैं जो धीरे–धीरे देर–सबेर प्रभाव में आयेगी ही। मुनि जी का मानना है कि विचार मंथन ही दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। धूर्त लोग विचार मंथन को निरूत्साहित करके विचार प्रसार को महत्व दे रहें है जो असत्य या अपूर्ण होने से समाधान की जगह समस्याएं पैदा कर रहे हैं। विचार–मथंन को तीव्र गति से बढ़ाने की जरूरत हैं। ज्ञान तत्व अभी दुनिया की अकेली ऐसी पाक्षिक पत्रिका है जो विचार मंथन को प्रोत्साहित करती है। इसका प्रभाव बहुत धीरे–धीरे होता है किन्तु ठीक दिशा में होता है तथा कभी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। मुझे भी ऐसा लगता है कि ज्ञानतत्व पढ़ना बहुत उपयोगी है। वार्षिक मूल्य सौ रूपया, आजीवन पांच सौ रूपया, कोई ज्यादा मूल्य भी नहीं है। निःशुल्क पढ़ने वालो को निःशुल्क भी दी जा सकती है। अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान तत्व पढ़ना चाहिये। जो लोग ज्ञान तत्व विस्तार में सहयोगी भी होना चाहे, वे कार्यालय से सम्पर्क करके सहयोगी हो सकते है।

मेरा पाठकों से निवेदन है कि वे ज्ञानतत्व पढ़ने की आदत डालें। जिससे अहिंसक विचार–क्रान्ति की विश्व धारा को बल मिल सके।

समस्याओं के प्रणेता, कर कानून नेता,

समाधान का आधार, ज्ञान यज्ञ परिवार।

समाप्त

लेखक का परिचय

श्री आनंद कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री रूपलाल गुप्ता का जन्म ग्राम–लोधा जो छ0ग0 झारखण्ड बोडर के पास रामानुजगंज के निकट स्थित है, में हुआ। अपने आरंभिक काल से ही आपको श्रद्वेय बजरंग मुनि जी का सानिध्य एवं मार्गदर्शन मिलता रहा आप नाटक, डॉक्युमेंट्री आदि के माध्यम से सामाजिक सरोकार के मुद्दे उठाते रहे है। वर्तमान में आप अम्बिकापुर नगर में रहते है आपके द्वारा सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं के लिए अनेको बार फिल्म आदि का निर्माण किया गया है। तमाम अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की श्रेणी में आपका नाम रहा है।

हिन्दी फीचर फिल्म

1. लगड़ा राज कुमार
2. आई.एम. नोट बलाईंड
3. नवाबिहान
4. लाईफ ऑन रोड

वृतचित्र (डॉक्युमेंट्री)

1. एक ही रास्ता
2. साक्षर भारत नई रोशनी
3. माहान सन्त गहिरा गुरू
4. इज्जत
5. पणियाल गांव
6. ट्राईंग टू कोएक्जीसटेन्स
7. स्पर्स गंगा आदि

आनन्द कुमार गुप्ता

(महामाया पेट्रोल पंप के पीछे)

शिवपुर, नमनाकला,

अम्बिकापुर, 9424251851

लेखक नुक्कड़ नाटककार तथा

मदारीवाणी पत्रिका के सम्पादक हैं।